राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4522/2022

मन्जू कुमारी चौहान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, फॉयसागर, अजमेर।
4. विनिता मिश्रा, व्याख्याता (राजनीतिक विज्ञान) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीनगर, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.09.2022
आदेश की दिनांक : 31.10.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थीया के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थीया वर्तमान में व्याख्याता (राजनीतिक विज्ञान) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, फॉयसागर, अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थीया का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीनगर, अजमेर में किया गया है एवं आलोच्य आदेश की अनुपालना में दिनांक 02.09.2022 को कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थीया के विद्धान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीया अक्टूबर 2019 से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित है। तथा अपीलार्थीया तलाकशुदा एकल महिला है आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 के बिंदू संख्या 4 में अंकित किया है कि यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत

कार्मिक विधवा/परित्यकता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर,ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। तथा शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 24.03.2019 (अनुलग्नक–5) के द्वारा परित्यक्ता/तलाकशुदा शिक्षिका से प्राप्त आवेदनों में रिक्त पद पर प्राथमिकता से स्थानान्तरण किया जावेगा। अपीलार्थीया लंबे समय से वर्तमान स्थान पर निष्ठापूर्वक कार्य कर रही है। तथा अपीलार्थीया का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को संमजित (accommodate) करने के उद्देश्य से किया गया है जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य के पारित आदेश के विरूद्ध है। अपीलार्थीया ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया। फिर भी अपीलार्थीया का स्थानान्तरण कर दिया गया। अपीलार्थीया का स्थानान्तरण बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) को एवं आलोच्य आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थीया की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थीया को निरंतर व्याख्याता (राजनीतिक विज्ञान) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, फॉयसागर, अजमेर में कार्य करने दिया जावे।

हमनें अपीलार्थीया के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीया द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीया आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में

अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीया को दे। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थीया के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य